

कार्यवाही विवरण

दिनांक 19.05.09 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान के परियोजना जिलों के अधिशाषी अभियंता, नरेगा की एक कार्यशाला इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में आयोजित की गई। कार्यशाला में माननीय मंत्री महोदय, ग्रा. वि. एवं पं. राज, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, नरेगा द्वारा अधिशाषी अभियंताओं से कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति एवं समस्याओं तथा सुधार हेतु अपेक्षित कार्यवाही पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा उपरांत निम्न निर्णय किये गये:-

क्र. सं.	निर्णय/निर्देश	लागू करने का दायित्व
1.	जिले की आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाकर इस तरह से कार्य कराये जाये जिससे कि ग्रामीण लाभान्वित हो, गांवों का सर्वांगीण विकास हो तथा नरेगा योजना की उपयोगिता सिद्ध हो। जल संरक्षण के कार्य, सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से कराये जाये। वर्षा के जल को रोके जाने के तरीके, क्षेत्र विशेष के आधार पर विकसित किये जाये, चारागाह विकास के कार्य वाटरशेड विकास के माध्यम से कराये जाये एवं इन्हें अतिक्रमण से मुक्त कर पंचायत की स्थायी परिसंपत्ति बनाया जाये। कार्यों के कार्यान्वयन की प्राथमिकता अधिनियम में वर्णित प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। वर्तमान में सड़क निर्माण के कार्य अत्यधिक मात्रा में लिए गये हैं जबकि इसकी प्राथमिकता अंतिम होनी चाहिए। सड़क निर्माण की गुणवत्ता भी उचित नहीं है, कुछ स्थानों पर तो सड़क निर्माण के बाद इसकी स्थिति पूर्व से बदतर हो गई है। इस पर ध्यान दिया जावे।	जिला कार्यक्रम समन्वयक
2	योजना के द्वारा ऐसे लोगों को लाभान्वित किये जाने का प्रयास किया जाये जो कि अभी तक सरकार की योजनाओं से लाभ उठाने से वंचित रहे हो, जो पहले से ही अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभ उठा रहे हो उन्हें ही लगातार लाभान्वित ना करे। व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य प्रायः स्वीकृत तो कर दिये जाते हैं परंतु प्रारंभ नहीं किये जाते। ये कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाये, जिससे कि योजना का सीधा-सीधा लाभ लाभार्थियों को मिल सके।	जिला कार्यक्रम समन्वयक
3	तकमीनें मौके के आधार पर तैयार किये जाये। कार्य की समस्त स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए तकमीनें बनाये जाये ताकि एक टिकाऊ एवं उपयोगी परिसंपत्ति का निर्माण किया जा सके। ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत अध्ययन किया जाकर उसमें क्या-क्या गतिविधियाँ शामिल की जा सकती है के आधार पर तकमीनें बनाये जाये। तकमीनें पूर्ण रूपेण बन सके इसके लिए यदि आउटसोर्सिंग भी की जा सकती है।	जिला कार्यक्रम समन्वयक

4	योजनान्तर्गत जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग के माध्यम से अत्यंत उपयोगी कार्य कराये जा सकते हैं परंतु इन विभागों द्वारा नरेगा के कार्य संपादन में कोई रुचि नहीं है। हाल ही Convergence हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। उनके अनुसार विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को समन्वय का कार्य लिये जावे।	जिला कार्यक्रम समन्वयक
5	अन्य कार्यकारी विभागों द्वारा सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय की मांग की जा रही है। उनका मानना है कि शेष राशि पंचायती राज विभाग द्वारा संपादित कराये जा रहे कार्यों में समायोजित की जा सकती है। इस प्रवृत्ति को उचित नहीं माना गया व विभागों को कुल स्वीकृत कार्यों में सामग्री अनुपात Maintain करने की कार्यवाही की जावे।	जिला कार्यक्रम समन्वयक
6	कुछ जिलों विशेष रूप से रेगिस्तानी जिलों में जिलों में अनुमत कार्य समाप्ति की ओर है अतः नये कार्य अनुमत सूची में जोड़े जावें। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रकरण भिजवाने का निर्णय लिया गया।	परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)
7	ग्रामीण कार्य निर्देशिका के वर्तमान प्रावधान के आधार पर रु. पांच लाख से अधिक की तकनीकी स्वीकृति अधिशाषी अभियंता द्वारा जारी की जाती है जबकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए सहायक अभियंता/वरिष्ठ तकनीकी सहायक को रु. 25 लाख तक की शक्तियाँ प्राप्त है। तकनीकी स्वीकृति जारी करने एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्तियाँ समान किये जाने की आवश्यकता है।	
8	उपखण्ड अधिकारी को ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर बनाये जाने के संबंध में अधिकतम अधिकारियों का मत था कि इससे कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सुविधा होने के स्थान पर असुविधा अधिक महसूस की रही है। अधिकतर पंचायत समितियों पर कार्यक्रम अधिकारियों को आवंटित वाहन उप खण्ड अधिकारी द्वारा ले लिये गये है, जिसके कारण कार्यक्रम अधिकारी अपने ऑफिस तक ही सीमित रह गये है एवं निरीक्षण हेतु नहीं जा पा रहे है। इसके अतिरिक्त समय पर चैक पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण कार्मिकों के वेतन एवं श्रमिकों के भुगतान में विलम्ब हो रहा है। इस संदर्भ में स्पष्ट निर्देश दिये गये कि नरेगा हेतु आवंटित वाहन कार्यक्रम अधिकारी के पास ही रहेगा तथा कार्यक्रम अधिकारी निर्धारित अपेक्षित निरीक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्ववत् करेंगे।	जिला कार्यक्रम समन्वयक
9	अधिकतर उप खण्ड अधिकारियों को कार्यक्रम के प्रावधानों की जानकारी का अभाव है, जिसके कारण भी क्रियान्वयन में कठिनाई महसूस की जा रही है। ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर्स के लिये भी एक प्रशिक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया गया।	परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)

10	<p>योजनान्तर्गत मेट के नियोजन से 100 दिन से अधिक की पाबन्दी हटा ली गई है। ऐसी स्थिति में कुछ स्थानों पर मेट द्वारा मस्टररोल के ऊपर एक वित्तीय वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किये जाने पर श्रम न्यायालय के माध्यम से राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति हेतु मांग की जा सकती है। इस स्थिति से बचने के लिये या तो मेट के नियोजन पर समय सीमा लागू की जावे या फिर मेट का नियोजन मस्टररोल पर ना किया जाकर भुगतान संबंधी कार्यवाही वाउचर के माध्यम से की जावे। इस प्रकरण का परीक्षण कर निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया।</p>	परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)
11	<p>अधिकांश अभियन्ता नरेगा वर्तमान में जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन है। इस योजना के डीपीसी जिला कलेक्टर है, एक अभियन्ता के दो अधिकारियों के अधीन कार्य करने से अभियन्ताओं द्वारा कठिनाइयों का सामना करने के संबंध में अवगत कराया। गुणवत्तापूर्ण कार्यों का संपादन, समय पर श्रम एवं सामग्री का भुगतान, समस्त प्रकार के प्रशिक्षण, आईईसी, गुणवत्ता निर्धारण हेतु निरीक्षण तथा मेटों के प्रशिक्षण आदि का समस्त उत्तरदायित्व अधिकांश अभियन्ता को एवं में सामाजिक अंकेक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा जन अभियोग निराकरण का कार्य अन्य अधिकारियों के माध्यम से कराने का सुझाव दिया। इस संदर्भ में स्पष्ट निर्देश जारी किये जावे।</p>	परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)
12	<p>वर्तमान में मेट द्वारा केवल हाजरी का कार्य किया जा रहा है, जो कि उपर्युक्त नहीं है। मेट को योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों के अनुसार समस्त उत्तरदायित्वों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाये एवं पालना सुनिश्चित कराई जावे।</p>	जिला कार्यक्रम समन्वयक
13	<p>संविदा पर नियोजित तकनीकी कर्मियों के कार्य का आकलन अधिकांश अभियन्ता द्वारा किया जाकर अक्षम कर्मियों को कार्य से तुरंत हटा दिया जाये। कार्य निर्धारित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार हो, इसका ध्यान रखा जाये। इसके अतिरिक्त वास्तविक कार्य एवं कार्य पर किये गये व्यय में अंतर ना हो इस बात का ध्यान रखा जाये। 10 लाख से अधिक के पूर्व में स्वीकृत कार्यों के तकनीकों का पुनःपरीक्षण किया जावे। अधिकांश अभियन्ता से यह अपेक्षा है कि तकनीकी मुखिया की हैसियत से कार्य संपादित करे एवं पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत पर कार्यरत तकनीकी कर्मियों पर नियंत्रण रखे। इसके लिए उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि तकनीकी कर्मियों को अधिकांश अभियन्ता के प्रति उत्तरदायी बनाने हेतु निर्देश जारी किये जावें।</p>	जिला कार्यक्रम समन्वयक
14	<p>कार्य की माप 5 दिन में संपादित करने के लिए किसी भी तरह का अतिरिक्त सहायता ली जा सकती है। परंतु यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि कार्य की माप 5 दिन में आवश्यक रूप से हो जाये।</p>	जिला कार्यक्रम समन्वयक

15	अधिकाशाषी अभियन्ता द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कोई कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है। अधिकाशाषी अभियन्ता को कार्यक्रम अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक को सीधे ही निर्देश दिये जाने हेतु अधिकृत किया जावे। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अधिकाशाषी अभियन्ता के निरीक्षण प्रतिवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)
16	जिलों में उपयोगिता प्रमाण पत्र समायोजन की प्रक्रिया समान नहीं है। अतः राज्य स्तर से इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।	मुख्य लेखाधिकारी
17	सामग्री क्रय किये जाने की प्रक्रिया भी जिलों में समान नहीं है। इसके लिये भी राज्य स्तर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।	मुख्य लेखाधिकारी
18	अधिकाशाषी अभियन्ताओं को नरेगा से संबंधित समस्त कार्य की जिम्मेदारी दी गई है परंतु इसके लिए सहायक कार्मिक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण गुणकारक तकनीकी निरीक्षण नहीं हो पाते हैं। अतः अधीनस्थ तकनीकी स्टॉफ उपलब्ध कराया जाये। साथ ही अधिकाशाषी अभियन्ता को Laptop उपलब्ध कराया जावे।	परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)
19	नियोजित श्रमिकों द्वारा संपादित टास्क के आधार पर मजदूरी दर कम आने पर मजदूरी दर बढ़ाने के लिए दबाव डाला जाता है। इस प्रवृत्ति को रोका जावे।	जिला कार्यक्रम समन्वयक
20	भुगतान की स्थिति की समीक्षा ग्राम पंचायत वार की जावे एवं पोस्ट ऑफिस/ बैंक अधिकारियों के साथ जिला स्तर पर बैठक की जावे। श्रमिकों का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जावे।	जिला कार्यक्रम समन्वयक
21	क्रियान्वयन में आ रही किसी भी तरह की समस्याओं से राज्य को अवगत कराया जाये ताकि उसका निष्पादन किया जा सके।	जिला कार्यक्रम समन्वयक
22	मेट एवं योजना के क्रियान्वयन से जुड़े कार्मिकों तथा जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण समय-समय पर कराया जावे।	जिला कार्यक्रम समन्वयक
23	योजनान्तर्गत किये जा रहे निरीक्षण प्रभावी नहीं है, निरीक्षणों को अधिक प्रभावी बनाया जावे एवं अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन के साथ लापरवाही को नजर अन्दाज नहीं किया जावे। निरीक्षण के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जावे एवं जिला स्तर से यह स्पष्ट होना चाहिये कि पाई गई अनियमितता पर क्या कार्यवाही हुई है। निरीक्षण के दौरान पायी जाने वाली कमियों के निराकरण के प्रयास किये जाये एवं व्यवस्था में सुधारने की कार्यवाही दंडित करने की बजाय ज्यादा की जाये।	जिला कार्यक्रम समन्वयक
24	ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक तकनीकी अधिकारियों की कमी है। ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी अधिकारियों को कार्यरत श्रमिकों एवं ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आधार पर नियोजित किया जावे।	परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)

25	वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर नियमित अधिकारियों का नियोजन योजना के लिए ज्यादा उचित होगा।	परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)
26	एमआईएस में अपेक्षित सुधार हेतु 10 ग्राम पंचायतों पर एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नियोजित किये जाने का सुझाव दिया गया, जिस पर विभाग का कार्यवाही करने का निर्णय किया गया।	परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)
27	कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर केवल डिप्लोमा एवं डिग्री धारक अभियंताओं को ही नियोजित करने का सुझाव दिया ताकि गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य निष्पादित हो। इस प्रकरण पर विचार करने का निर्णय लिया गया।	परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)
28	कार्यक्रम अधिकारी के पद पर संविदा पर नियोजन के स्थान पर नियमित अधिकारी लगाया जाना कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए ज्यादा उचित रहेगा।	परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)
29	योजनान्तर्गत नियोजित कार्मिकों के वेतन वृद्धि किये जाने का भी सुझाव दिया गया। इस बिन्दु पर यह अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है।	परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)
30	योजना के सुधार हेतु प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो किया जाये।	आयुक्त, ईजीएस

अत में कार्यशाला सधन्यवाद समाप्त की गई। कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)


क्रमांक:-एफ-4()ग्रावि/नरेगा/2008

जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

8 JUN 2009

- 1) निजी सचिव, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 2) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 3) निजी सचिव, सचिव ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, ईजीएस, जयपुर।
- 4) समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान।
- 5) समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अति. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान।
- 6) समस्त अधिशाषी अभियंता, ईजीएस।
- 7) रक्षित पत्रावली।


परि.निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)